माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा।
न्यायालय श्रीमान् ~~[illegible]~~

==============================================================







R-936-I/12

महेश्वर वैश्य तनय स्व० श्री दशरथ प्रसाद वैश्य उम्र 75 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम गदशा तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

===============निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

============= गैरनिगरानीकर्ता

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 936–एक/12 जिला – सिंगरोली

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19.6.14 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिंगरोली के अंतरिम आदेश दिनांक 5.3.12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अति. तहसीलदार, सिंगरोली प्रभारी क्षेत्र अमिलिया के राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 3–11–07 के विरूद्ध निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई । कलेक्टश्र ने उक्त अपील को आवेदक की अनुपस्थिति तथा आलोच्य आदेश की प्रति पुनरीक्षण के साथ न लगाने के कारण निरस्त किया है । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।<br>3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय चाहा था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।<br>4– अनावेदक शासन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।<br>5– आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा नियत दिनांक को आवेदक के अनुपस्थित रहने तथा आलोच्य आदेश की प्रति निगरानी के साथ न लगाने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया है । संहिता की धारा 48 के अनुसार याचिका के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

पेश किया जाना आवश्यक है जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किए जाने से अभिमुक्ति न दी गई हो । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से अभिमुक्ति देने हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह वैधानिक दृष्टि से उचित और न्यायिक है होने से पुष्टि योग्य है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

( एम.के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर